

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230054
SG-DL-E-29092021-230054

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 190
No. 280]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943	[N. C. T. D. No. 190

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सं.फा. 6/10/2021-न्याय/अधि.वि./998-1001.-सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 15 के साथ पठित पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से एतद् द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अर्न्तगत गठित जिला स्तर पर पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी / न्यायाधी"ी की पदेन शक्तियां दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रत्येक अधिकारी को प्रदत्त करते हैं जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी"ी द्वारा किए गए स्थानान्तरण /तैनाती आदे"ों के अनुसरण में इस तरह के किसी भी प्रभार को ग्रहण करने की तिथि से उनके द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 29th September, 2021

No. F. 6/10/2021-Judl./Suptlaw/998-1001.—In exercise of the power conferred under Sub-Section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 read with Section 15 of the General Clause Act, 1897, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the concurrence of High Court of Delhi, hereby confers the ex-officio powers of Presiding Officer/Judge of the Family Court at District level constituted under The Family Court Act, 1984 on each of the officer of Delhi Higher Judicial Service, to be exercisable by each of them with effect from the date of assumption of any such charge by them, in pursuance of the transfer/posting orders made by the Chief Justice of High Court of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.)